# कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

क्रमांक प.(14) विविध/उवसं/2019/3637-40 दिनांक :- 20-6-19

**निमित्त,**
संभागीय **मुख्य वन संरक्षक,**
**उदयपुर**

विषय :- राष्ट्रीय राजमार्ग 927-ए के विस्तारीकरण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के अंतर्गत जिला बांसवाड़ा में ग्राम वजवाना से बांसवाड़ा के बीच में प्रभावित हो रही 4.99 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन बाबत।

सन्दर्भ :- अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि.,रा.रा.मार्ग, खण्ड-बांसवाड़ा का पत्रांक 138A दिनांक 04.05.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि यूजर ऐजेन्सी अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि.,रा.रा. मार्ग, खण्ड-बांसवाड़ा द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के वेबपोर्टल https://parivesh.nic.in/ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 927-ए के विस्तारीकरण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 4.99 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन कराने पर कुछ कमियाँ पाई जाने से प्रस्ताव यूजर ऐजेन्सी को आक्षेप में लोटाया गया था जो कि बाद आक्षेप पुर्ति यूजर ऐजेन्सी के पत्र क्रमांक 190, दिनांक 18.06.2019 (छाया-प्रति संलग्न) से इस कार्यालय को पुनः वापस प्राप्त हुआ है। यूजर एजेंसी के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में एफ.आर.ए., 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रिया में है, प्रक्रिया पूर्ण होते ही वांछित प्रमाण-पत्र पृथक से प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

प्रस्ताव में इस कार्यालय के स्तर से आवश्यक समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कर मूल प्रस्ताव 4 प्रतियों में अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

**संलग्न : उपरोक्तानुसार**

भवदीय,

(सुगनाराम जाट)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक प.(14) विविध/उवसं/2019/ दिनांक :-

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नॉडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर।
2. अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि.,रा.रा.मार्ग, खण्ड-बांसवाड़ा
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, गढ़ी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में इस कार्यालय की स्वीकृति के बगैर वन भूमि में किसी भी प्रकार की गैर वानिकी गतिविधियाँ पूर्णतया वर्जित रखी जाना आपके स्तर से सुनिश्चित करावें।

उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा